न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 4 लगायत 10 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रकरण कैलाश आदि बनाम गोरधन वगैरा मुकदमा वाद संख्या 110/2024 में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 70/2024 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण की सुनवाई नहीं की जाती तथा अप्रार्थीगण के कहे अनुसार ही तारीखे दी जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा एलानिया कहा गया कि प्रकरण का फैसला तो हमारे पक्ष में ही होगा। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में भी आते–जाते देखा था। जिससे प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को कानूनी प्रावधानों व न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध ही तय किया जायेगा। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार कर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 4 लगायत 10 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा मृतक रामहेत व रेखा के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 3 रामहेत की मृत्यु दिनांक 21.01.2023 को हो चुकी थी तथा अप्रार्थी संख्या 11 रेखा पुत्री भूराराम की मृत्यु दिनांक 29.11.2021 को हो चुकी थी। कानूनन मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण पेश नहीं किया जा सकता है और ना ही पक्ष में या विपक्ष में निर्णय किया जा सकता है। मृत व्यक्तियेां के विरूद्ध प्रकरण पेश होने से खारिज योग्य है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावे। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मृतक पक्षकार के मृत्यु की जानकारी के अभाव में उन्हे पक्षकार बना दिया गया है। अब सूचना मिलने पर उनका नाम डिलीट किया जाकर उनके कायम मुकामानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् कार्यवाही की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत है फिर भी यदि पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मृतक पक्षकारों के कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही की जानी है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अथवा सबूत पेश नहीं किये गये है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की नीयत से पेश किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ramswaroop Chauhan Date: 2025.07.12 12:34:5[illegible] IST Reason: SelfAttested सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर,दौसा	